



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या

- 4233 वर्ष 2026

आसिम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मदन सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 398 वर्ष 2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, के अंतर्गत, थाना मूंडा पांडे, जनपद मुरादाबाद में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है तथा उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में अंकित नहीं था तथा उसका नाम सह-अभियुक्त जैन आलम, जो प्राथमिकी में नामित था, तथा नजीर के कथनों के आधार पर विवेचना के दौरान सामने आया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्तों के कथनों के अतिरिक्त, अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास शपथपत्र एवं वर्तमान आवेदन के समर्थन में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक प्रभावी रह सकती है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रदान की गई अग्रिम जमानत, अभियुक्त के आचरण एवं व्यवहार के आधार पर, आरोप-पत्र दाखिल होने के उपरांत भी विचारण तक जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, साक्षियों को भयभीत करने, तथा न्याय से पलायन की संभावना जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों द्वारा निर्देशित होकर ही निर्णय करना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा अस्वीकार करना न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है।

6. आवेदक के विरुद्ध आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त अभिलेखित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा गुण-दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे मत में यह प्रकरण आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक- **आसिम**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय/विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा तथा विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाएगा कि वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेगा, जिसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर स्वीकार किया जाएगा, साथ ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा:-

(i) आवेदक विवेचक/संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा तथा यदि उसके पास यात्रा-पत्र है तो वह उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेगा।

9. यदि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आवेदक को प्रदान की गई संरक्षण की समाप्ति का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

दिनांक 02.06.2026

के. के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।